न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—373/2018/225 (2018/00373)

1. जगदीश,
2. ओमप्रकाश,
3. रामावतार शर्मा,
4. कृष्णावतार शर्मा,

समस्त पुत्रगण स्व0 भंवरलाल शर्मा, नि0 ग्राम अंनतपुरा, तहसील दूदू जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. हेमराज शर्मा पुत्र स्व0 भंवरलाल शर्मा, नि0 डी— 274 जगदम्बा नगर, अजमेर रोड़, जयपुर ।

रेस्पोडेंट

2. शाखा प्रबंधक एस0बी0बी0जे0 बैंक दौराने विचारण परिवर्तित नाम एस0 बी0आई0 बैंक शाखा, दूदू, जिला जयपुर । **(नाम तर्क)**
3. उप पंजीयक/तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर । **(नाम तर्क)**

प्रफोर्मा रेस्पो0

अपील अंतर्गत धारा 225 (i) (ii) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) दूदू, जयपुर दिनांक 8.3.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 73/2015.

उपस्थितः—

1. श्री हरीश साहू, वकील अपीलांटस ।
2. श्री हनुमान प्रसाद चौधरी, वकील रेस्पोडेंट ।

निर्णय

दिनांकः—28.6.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) दूदू के आदेश दिनांक 8.3.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थी ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांट के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 सगे भाई है तथा भूरा उर्फ भंवरलाल ब्राहमण के जायंदा पुत्र है । आराजियात खाता संख्या 18 संवत् 2068 से 2071 के खसरा संख्या 196 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 197 रकबा 1.59 है0, खसरा नंबर 201 रकबा 0.91 है0, खसरा नंबर 202 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 208 रकबा 0.52 है0, खसरा नंबर 350 रकबा 0.37 है0, खसरा नंबर 360 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 361 रकबा 0.08 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.82 है0 व खाता संख्या 79 के खसरा नंबर 504 रकबा 0.24 है0, खसरा नंबर 505 रकबा 0.92 है0 कुल किता 2 कुल

रकबा 1.16 है0 वाके ग्राम अनंतपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें प्रार्थी 1/5 हिस्से का रिकार्डेड काबिज काश्तकार है तथा पक्षकारान ने मनबट के आधार पर विभाजन करके अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है एवं अपने–अपने हिस्से का लगान अदा करते चले आ रहे है । प्रार्थी एक सरकारी कर्मचारी है तथा पूर्व में वह गांव के आस–पास पोस्टेड रहा है, तथा वर्तमान में भांकरोटा उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर कार्यरत है तथा अप्रार्थी संख्या 1 गांव में ही रहकर मंदिर की सेवा पूजा करते है तथा अप्रार्थी संख्या 2 जमीन जायदाद की खरीद–फरोख्त का कार्य करता है तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 वकील है तथा जयपुर न्यायालय में वकालत करते है तथा जैन विहार अजमेर रोड़ केशोपुरा, जयपुर में निवास करते है । प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 वर्ष 1990 में अलग–अलग हो गये तथा गांव के मकान, बाड़े एव उक्त आराजियात का मनबट के आधार पर विभाजन करके पक्षकारान अपने–अपने हिस्से के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है । प्रार्थी का मनबट के आधार पर खसरा संख्या 504 रकबा 0.24 है0 एवं खसरा संख्या 505 रकबा 0.92 है0 किता 2 कुल रकबा 1.16 है0 पर कब्जा काश्त रहा है परन्तु कानूनन विभाजन नहीं होने से आये दिन विवाद होता है । गत् वर्ष प्रार्थी ने अपने हिस्से में आई भूमि पर ज्वार की फसल बोई जिसे अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 ने उथेल दिया तथा कहा कि हम उक्त दोनों खेत प्रार्थी को नहीं देगें तथा सारी आराजियात का दुबारा विभाजन करेगें । चूंकि प्रार्थी उक्त विवादित भूमि का रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है इसलिये प्रार्थी के हक में प्रथमदृष्टया केस सबल है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में है । अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने प्रार्थी की भूमि में गड्डे खोद दिये तथा पक्का निर्माण करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात बाबत् अप्रार्थीगण को वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे तथा इस निषेधाज्ञा से भी पाबंद किया जावे कि प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल नहीं करे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 8.3.2017 द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांटस को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष दौराने वाद धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत रिसीवर नियुक्त करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और मान0 अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 13.7.2016 को आदेश पारित कर निर्देश दियाा था कि अप्रार्थीगण राशि 20,000/–रू0 प्रति बीघा की दर से प्रतिवर्ष दोनों फसलों की राशि तहसीलदार, मौजमाबाद को जमा करावे । इस वर्ष की राशि 7 दिवस के भीतर तहसीलदार के यहां नकद प्रतिभूमि के रूप में जमा कराकर विवादित भूमि पर काश्त करे, सात दिवस में नकद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में यह निर्देश दिया कि तहसीलदार कृषि भूमि को स्वंय कब्जा राज में लेकर काश्त की व्यवस्था करावे । उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलांटस ने अण्डरप्रोटेस्ट तहसीलदार के समक्ष आदेशित राशि 20,000/–रू0 जमा करा दिये थे और आदेश को अपीलीय

न्यायालय में चुनौती दी हुई है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को कृषि भूमि के संबंध में समानान्तर अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी करने की अधिकारिता नहीं है अन्यथा दो विरोधाभाषी आदेश पारित हो जायेगें और पालना को लेकर पक्षकारों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश से अपीलांटस को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करने में विधिक त्रुटि कारित की है । यह भी कथन किया कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश के द्वारा कब्जा काश्त करने से नहीं रोक सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में 2011 (3) अपेक्स कोर्ट जजमेंट पेज 001 सुप्रीम कोर्ट, 2016 डब्ल्यू0एल0सी0 यू0सी0 पेज 257, आर0आर0डी0 1989 पेज 160, आर0आर0डी0 1970 पेज 351, ए0आई0आर0 1997 सुप्रीम कोर्ट पेज 2477, आर0आर0डी0 1988 पेज 143 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने जवाब बहस एवं लिखित बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है । अपीलांटस एवं रेस्पो0 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है । विवादित आराजियात अपीलांटस एवं रेस्पो0 के पिता स्व0 भूरा उर्फ भंवरलाल के कब्जे काश्त व खातेदारी की रही है । वर्ष 1981 में पिताजी के स्वर्गवास के बाद पांचों भाईयों अपीलांटस एवं रेस्पो0 के नाम विरासत नामांतकरण 1/5, 1/5 हिस्से बराबर–बराबर स्वीकार हुआ है । उक्त भूमि के 4/5 हिस्से में अपीलांटस एवं 1/5 हिस्से का रेस्पो0 रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार चले आ रहे है । पक्षकारान के बीच मनबट के आधार पर वर्ष 1990 से अलग–अलग हो गये तथा खसरा नंबर 504 व 505 पर रेस्पो0 का कब्जा रहा है किन्तु अपीलांटस ने रेस्पो0 की बोई फसल को उछेल दिया । रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 में वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया जिसके साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का भी पेश किया गया था जिसमं अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 13.7.2015 को विवादित आराजियात के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये है । उक्त आदेश में विवादित आराजियात बाबत् अपीलांटस को प्रार्थी/रेस्पो0 के 1/5 हिस्से के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करने, भूमि के किसी विशिष्ट भूभाग का विक्रय नहीं करने एवं किसी विशिष्ट भूभाग पर कच्चा/पक्का निर्माण नहीं करने हेतु पाबंद किया था । बहस में आगे कथन किया कि संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है । इस संबंध में आर0आर0टी0 2002 (2) पेज 1131 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया । यह भी कथन किया कि सहखातेदारी की भूमि पर कब्जा मुखालफाना का सिद्धांत लागू नहीं होता है तथा संयुक्त कृषि भूमि में एक सहकाश्तकार द्वारा भी विभाजन का दावा पेश किया जा सकता है। इस संबंध में आर0आर0टी0 2004 पेज 1066 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया । अपीलांटस रेस्पो0 को सहखातेदार मानते है साथ ही रेस्पो0 को विवादित भूमि से हटाना भी मानते है तथा विशिष्ट भूभाग पर खड्डे खोदते है, पेड़ काटते है तथा पक्का निर्माण करने हेतु पत्थर डाल रहे है जो तहसीलदार मौजमाबाद की मौका रिपोर्ट दिनांक 1.12.2015 से स्पष्ट है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् है। । यह भी कथन किया कि मुखालफाना कब्जे के आधार पर किसी सहकृषक के हित समाप्त नही किये जा सकते है । इस संबंध में आर0आर0टी0 2005 पेज 1429 एवं आर0बी0जे0 2005 पेज 512 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये । अपीलांटस ने रेस्पो0 के उसके 1/5 हिस्से को नकारते हुए दौराने वाद विवादित भूमि से जबरन बेदखल किया है, पेड काटे है, खड्डे खोदे है तथा निर्माण करने पर उतारू है इसीलिये अधी0न्याया0 ने

अपीलांटस को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है तथा विवादित भूमि पर रिसीवरी के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे । इस संबंध में रेस्पो0 द्वारा न्यायिक दृष्टांत 1977 आर0आर0डी0 पेज 399 व 500, आर0आर0डी0 1980 पेज 264, आर0आर0डी0 1993 पेज 277, आर0आर0डी0 2007 पेज 757, आर0आर0टी0 2008 (1) पेज 211, आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 1215 , आर0आर0टी0 2013 पेज 768, आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 520, आर0बी0जे0 2001 पेज 462 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का मनन किया । प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलाधीन भूमि के संबधं में राजस्व प्रकरण संख्या 3/16 हेमराज बनाम जगदीश में अधी0न्याया0 द्वारा दिनाक 13.7.2016 को विवादित भूमि पर ताफैसला वाद तहसीलदार, मौजमाबाद को रिसीवर नियुक्त किया गया है एवं विवादित भूमियां तहसीलदार, मौजमाबाद के पास बहैसियत रिसिवरी में होने के कारण अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 8.3.2017 को इस प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा पारित कर अप्रार्थीगण को उसके कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करने के लिये एवं विशिष्ट भू–भाग को विक्रय नहीं करने के संदर्भ में एवं विशिष्ट भू–भाग पर बिना विभाजन पक्का, कच्चा निर्माण नहीं करने हेतु एवं मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है जिसे विधिसंगत नहीं माना जा सकता है क्योंकि प्रकरण संख्या 3/16 में विवादित भूमियां बहैसियत रिसीवर तहसीलदार, मौजमाबाद के कब्जे एवं व्यवस्था/प्रबंधन में है ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश विधिसंगत नहीं माना जा सकता है ।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का प्रकरण संख्या 73/2015 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.3.2017 खारिज योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.3.2017 निरस्त किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 28.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर